ऑन लाईन नं. GCMS 2023/287

न्यायालय : न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं0 126/2023

श्री कंवरपाल सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर।

बनाम

1. श्री संजय गर्ग पुत्र श्री अंग्रेज कुमार गर्ग (विक्रेता) मैसर्स हंसराज राजेश कुमार गर्ग, सब्जी मंडी मार्केट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर।
2. श्री अंग्रेज कुमार पुत्र श्री हंसराज गर्ग (मालिक) मै. हंसराज राजेश कुमार गर्ग, सब्जी मंडी मार्केट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर।
3. श्री नंद किशोर पुत्र श्री घनश्यामदास(प्रोपराईटर–निर्माता फर्म) मै. S.S. Food prodeuct Plot no. 155 Sector No. 11/A, Behind Shankar toll Kanta, Hanumangarh Jn. Raj. 335512
4. मै. S.S. Food prodeuct Plot no. 155 Sector No. 11/A, Behind Shankar toll Kanta, Hanumangarh Jn. Raj. 335512 (निर्माता फर्म)

अपराध अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा

एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(ii)/52

निर्णय

दिनांकः 30.01.2026

सक्षेंप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री लक्ष्मीकांत गुप्ता को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तियां प्रयुक्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना नोटिफिकेशन कमांक सं./एफएसएसए/नोटिफिकेशन/2011/497 दिनांक 18.08.2011 के द्वारा अधिकृत किया गया। एवं परिवादी का पदस्थापन एवं कार्य क्षेत्र का आवंटन आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज. जयपुर के आदेश कमांकः–संस्था/एफएसएसए/2021/258 दिनांक 10.08.2021 के अनुसार जिला श्रीगंगानगर किया गया और श्रीगंगानगर जिले के अंतर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र कार्यक्षेत्र में आते हैं। अधिसूचना एवं आदेश की फोटो प्रतियां न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 10.03.2022 को समय दोपहर 03.00 बजे **मैसर्स हंसराज राजेश कुमार गर्ग, सब्जी मंडी मार्केट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर** पर पहुंचे, मौके पर **श्री संजय गर्ग पुत्र श्री अंग्रेज कुमार गर्ग (विक्रेता)** को अपना परिचय देकर दुकान पर रखे **शुगर बॉयलड कन्फेक्शनरी (हरसन संतरा गोली)** के बारे में जानकारी चाही, इस पर विक्रेता ने दुकान पर रखी 800–800 ग्राम पैक जार के 24 डिब्बे **शुगर बॉयलड कन्फेक्शनरी (हरसन संतरा गोली)** को आमजन के बेचाने वास्ते होना बताया। **शुगर बॉयलड कन्फेक्शनरी (हरसन संतरा गोली)** में मिलावट का शक होने पर विक्रेता से नमूना जांच वास्ते **शुगर बॉयलड कन्फेक्शनरी (हरसन संतरा गोली)** का नमूना लेने की इच्छा विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर देते हुए वरवक्त मौके पर ही विक्रेता को फार्म नम्बर 5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान ने व तात्कालिक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दुकान के निरीक्षण के दौरान आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **शुगर बॉयलड कन्फेक्शनरी (हरसन संतरा गोली)** 800–800 ग्राम के 4 पैक जार को विक्रेता से खरीद किया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त कयशुदा **शुगर बॉयलड कन्फेक्शनरी (हरसन संतरा गोली)** का नगद भुगतान 320/– रूपये किया तथा कैशमीमो बनावाकर लिया जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर है और तात्कालिन अधिकारी के भी हस्ताक्षर हैं।

अति0 जिला कलक्टर (प्रशा0)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नम्बर 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता तथा गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझकर हस्तक्षर करने को कहा जिसे **श्री संजय गर्ग** एवं गवाहान ने भी पढकर समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म से 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एवं विकेता **श्री संजय गर्ग** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। फार्म नम्बर 5ए मूल सलंग्न न्यायनिर्णयन आवेदन है।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **शुगर बॉयलड कन्फेक्शनरी (हरसन संतरा गोली) 800–800 ग्राम** की चारो मूल पेक जार पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी. ओ. श्रीगंगानगर के **कोड व कमांक के–1448** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा **पेपर स्लिप के–1448** नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आये। चारों नमूना भागों के पेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया।

मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे **श्री संजय गर्ग** एवं गवाहान ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। स्वयं तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये।

तात्कालिन खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं 06 की छः प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेपक बीकानेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की और दो फार्म सं. 06 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेपक वीकानेर को जमा कराकर फार्म सं. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की एवं शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म संख्या 6 की दो प्रतियों और चौथा भाग मय फार्म संख्या 6 की एक प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक :–:L.S./423/Act/2022/423 Dated 29.03.2022 को प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना **K-1448 Misbranded Food** होना पाया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के पत्रांक आयुक्त/खा.सु.औ.नि./स.सी/2023/3048 दिनांक 26.09.2023 के द्वारा वर्तमान खाद्य सुरक्षा अधिकारी कंवर पाल सिंह को प्रकरण संस्थित करने हेतु अधिकृत किया हुआ है। इस पर अभिहीत अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्तगण **श्री सम्पत सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कान राजपुरोहित (विक्रेता) व अंग्रेज कुमार पुत्र श्री हंसराज गर्ग (मालिक) मै. हंसराज राजेश कुमार गर्ग, सब्जी मंडी मार्केट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर और नंद किशोर पुत्र श्री घनश्यामदास(प्रोपराईटर–निर्माता फर्म) मै. S.S. Food prodeuct Plot no. 155 Sector No. 11/A, Behind Shankar toll Kanta, Hanumangarh Jn.** और **मै. S.S. Food prodeuct Plot no. 155 Sector No. 11/A, Behind Shankar toll Kanta, Hanumangarh Jn. Raj. 335512 (निर्माता फर्म)** द्वारा अमानक स्तर का **शुगर बॉयलड कन्फेक्शनरी (हरसन संतरा गोली)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 30.10.2023 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त के अधिवक्ता को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्त अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी फर्म हंसराज, राकेश कुमार गर्ग सब्जीमंडी, मार्किट सादुलशहर, श्रीगंगानगर की दिनांक 10.03.2022 को निरीक्षण करने पर संतरे की गोली अमानक पाये जाने पर उक्त धारा में उल्लंघन किये जाने पर उक्त नोटिस दिया गया है। प्रार्थी फर्म द्वारा प्रश्नगत हरसन संतरा गोली का केवल विक्रय किया जाता है। प्रार्थी द्वारा न तो प्रश्नगत खाद्य पदार्थ का तो निर्माण किया जाता है और ना ही पैकिंग की जाती है। प्रार्थी फर्म तो खाद्य पदार्थ होलसेल पर बेचती है। उक्त खाद्य पदार्थ पर जो लेबल प्रक्रिया है वह भी निर्मात्री कंपनी एसएस फार्ड प्रोडेक्ट प्लाट नंबर 155 सेक्टर नंबर 11/ए बीहैण्ड शंकर टोल कांटा हनुमानगढ़ राजस्थान द्वारा की जाती है। प्रार्थी मात्र विक्रेता है। कंपनी से माल आया और आगे बेच दिया। प्रार्थी का लेस मात्र दोष नहीं है। अगर इसमें सही मायने से देखा जाये तो दोषी कंपनी है। प्रार्थी फर्म को तो निरीक्षण के दौरान ही पता लगा था क्योंकि फर्म ने कभी भी उक्त खाद्य पदार्थ को ना तो निर्माण किया है ना ही उसकी पैकिंग की है। प्रार्थी द्वारा किसी भी तरह से धारा 26 की उपधारा ।। का उल्लंघन नहीं किया है। अतः जवाब नोटिस प्रस्तुत कर निवेदन है कि आप द्वारा की गई कार्यवाही दाखिल दफ्तर फरमावी जावे। प्रार्थी को राहत दिलावी जावे। अभियुक्त अधिवक्ता ने आगे अपनी बहस में कथन किया कि निर्माता फर्म **श्री नंद किशोर पुत्र श्री घनश्यामदास(प्रोपराईटर–निर्माता फर्म) मै. S.S. Food prodeuct Plot no. 155 Sector No. 11/A, Behind Shankar toll Kanta, Hanumangarh Jn. Raj. 335512 and मै. S.S. Food prodeuct Plot no. 155 Sector No. 11/A, Behind Shankar toll Kanta, Hanumangarh Jn. Raj. 335512 (निर्माता फर्म)** जो कि अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के रूप में दर्ज है, की तलवी नहीं होना स्वीकार किया और प्रकरण का फैसला अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की उपस्थिति के बिना करवाने हेतु निवेदन किया एवं कथन किया कि अदालत मातहत् द्वारा जो फैसला सुनाया जाएगा, उसकी अक्षरशः पालना की जाएगी।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **शुगर बॉयलड कन्फेक्शनरी (हरसन संतरा गोली)** का सैम्पल **K-1448** स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, बीकानेर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक– L.S./423/Act/2022/423 Dated 29.03.2022 **Misbranded Food** होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा (2)(ii) का उल्लघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

बहस पर मनन किया गया । पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अप्रार्थी संख्या 3 व 4 की अनुपस्थिति में प्रकरण को निस्तारण करने का निवेदन स्वीकार किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अभियुक्त से लिया गया Sample of **Sugar Boiled Confectionery(HARSAN संतरा गोली)** bearing code No. K-1448 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sri Ganganagar is **Misbranded Food under section 3(1)(zf)(C)(i)** of Food Safety and Standards Act, 2006. की जांच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्तगण **श्री सम्पत सिंह राजपुरोहित पुत्र श्री कान राजपुरोहित (विक्रेता) व अंग्रेज कुमार पुत्र श्री हंसराज गर्ग (मालिक) मै. हंसराज राजेश कुमार गर्ग, सब्जी मंडी मार्केट, सादुलशहर, श्रीगंगानगर और नंद किशोर पुत्र श्री घनश्यामदास(प्रोपराईटर–निर्माता फर्म) मै. S.S. Food prodeuct Plot no. 155 Sector No. 11/A, Behind Shankar toll Kanta, Hanumangarh Jn.** और **मै. S.S. Food prodeuct Plot no. 155 Sector No. 11/A, Behind Shankar toll Kanta, Hanumangarh Jn. Raj. 335512 (निर्माता फर्म)** को एक्ट 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (ii) के अन्तर्गत घटित अपराध का दोषी पाया जाता है। फलतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के अन्तर्गत अभियुक्तगण को **राशि रूपये 10,000–00 (अखरे रूपये दस हजार मात्र)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते है कि भविष्य में खाद्य पदार्थ में डालने के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

(सुभाष कुमार)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा0)
श्रीगंगानगर।
अति० जिला कलक्टर (प्र०)
श्रीगंगानगर